Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 180/2017 दायर दिनाँक 10.07.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. गोविन्दसिंह पुत्र धनसिंह, आयु–66साल, जाति–राजपूत, निवासी–बाँठड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, डीडवाना, वृत्त तृतीय, सीकर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक 09.04.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, वकील, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद बाँठड़ी में खसरा नम्बर 336, 338, 365 व 371 का नजरीनक्शा सैटलमेन्ट में दर्शित गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 337 की भूमि को नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित रास्ता मार्क "ए से सी" के स्थान पर मार्क "ए से बी" को दुरस्त किया जाता है। नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में पूर्व घोषित रास्ता मार्क ए से बी को पूर्ववत् रखते हुए, रास्ता मार्क ए से सी को हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ....–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 09.04.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

<u>न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना</u>

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **180/2017** दायर दिनाँक **10.07..2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. गोविन्दसिंह पुत्र धनसिंह, आयु–66साल, जाति–राजपूत, निवासी–बाँठड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, डीडवाना, वृत्त तृतीय, सीकर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, वकील, वादी।

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनाँक **09.04.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद बाँठड़ी में खेत खसरा नम्बर 336 रकबा 03.09 बीघा, खेत खसरा नम्बर 338 रकबा 14.05 बीघा, खेत खसरा नम्बर 371 रकबा 12.12 बीघा, खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 21.08 बीघा, वादी के खातेदारी के अवस्थित है। नकल पेश है।

ग्राम बाँठड़ी से बिंचावा को जाने का कटाणी रास्ता काफी वर्षों से वादग्रस्त खसरान् की भूमियों में से चला आ रहा है जिसको नजरीनक्शा में मार्क ए से बी दर्शित किया गया है।

उक्त रास्ता नजरीनक्शा में मार्क ए से बी होने के बावजूद भी हाल में हो रहे सैटलमेन्ट में राजस्व कर्मचारी आमीन द्वारा व प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मौके पर उक्त रास्ता मार्क ए से बी की अनदेखी करते हुए रास्ता को बन्द दर्शाते हुए वादी के खसरा नम्बर 336 में से 2 बिस्वा भूमि, खसरा नम्बर 338 में से 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 371 में से दो बार क्रमशः 2 बिस्वा व 5 बिस्वा भूमि को तथा खसरा नम्बर 365 में से 6 बिस्वा भूमि वादी के इन खेतों की भूमि को कम करते हुए रास्ता की भूमि का अंकन सैटलमेन्ट का पर्चा वादी को दिया गया है जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 से सम्पर्क करके औलमा दिया गया व वादी द्वारा लिखित में आवेदन भी प्रतिवादी संख्या 01 समक्ष किया गया तो प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी को उक्त सैटलमेन्ट नक्शे में रास्ता बाबत् दर्शाई गयी त्रूटि को सुधार करने का आश्वासन दिया गया परन्तु फिर भी उक्त सैटलमेन्ट नक्शे में वादी द्वारा बार–बार प्रतिवादी संख्या 01 के पास चक्कर लगाने के बावजूद भी उक्त त्रूटि रास्ता बाबत् मार्क ए से बी में कोई सुधार न करने

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 180 / 2017
दायर दिनाँक 10.07.2018, निर्णय दिनाँक 09.04.2018
गोविन्दसिंह बनाम् सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, वगैरा।

के बाद प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी को दिनाँक 26.09.2016 को इस आशय की सूचना प्रेषित की कि वादी सक्षम न्यायालय के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही करके उक्त त्रुटि के सुधार करवावे। इस कारण वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पेश है।

नजरीनक्शा में मार्क ए से बी कटाणी रास्ता काफी सालों से उपयोग–उपभोग में लिया जा रहा है जो कि वर्तमान में निर्बाध रूप से चालू भी है व मौके पर इस रास्ते के अलावा अन्य रास्ता मौजूद नहीं है। राजस्व कर्मचारियों ने बिना मौके की सही स्थिति लिए ही सैटलमेन्ट नक्शा में ए से सी रास्ता दर्शित कर दिया है जिसके कारण वादी को भविष्य में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा तथा उक्त गलत इन्द्राज से वादी पक्ष को काफी नुकशान हो रहा है। सैटलमेन्ट में से मार्क ए से सी को हटाया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा उक्त त्रुटि सुधार नही करने से बिनाय दावा उत्पन्न हुआ है।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद बाँठड़ी में खसरा नम्बर 336, 338, 365 व 371 का नक्शा सैटलमेन्ट में वर्तमान दर्शित रास्ता मार्क ए से सी को हटाया जाकर इसके स्थान पर मार्क ए से बी को रास्ता की भूमि दुरस्त किया जावे।

वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त खसरान् की भूमियों में से नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए से सी रास्ता मौके पर कायम न करे तथा मार्क ए से बी रास्ता की उपयोग–उपभोग करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपनी तथ्यात्पक रिपोर्ट दिनाँक 09.04.2018 वाद में पेश की है। उक्त रिपोर्ट मुताबिक– शरहद बाँठड़ी में खसरा नम्बर 338 व 371 के बीच में खसरा नम्बर 337 गैरमुमकिन रास्ता वर्तमान समय में चालू है इसके अलावा मौके पर अन्य रास्ता नहीं है।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान वकील वादी तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट दिनाँक 09.04.2018 मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। तहसीलदार डीडवाना की उक्त तथ्यात्पक रिपोर्ट दिनाँक 09.04.2018 के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 180/2017
दायर दिनाँक 10.07.2018, निर्णय दिनाँक 09.04.2018
गोविन्दसिंह बनाम् सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, वगैरा।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद बाँठड़ी में खसरा नम्बर 336, 338, 365 व 371 का नजरीनक्शा सैटलमेन्ट में दर्शित गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 337 की भूमि को नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित रास्ता मार्क "ए से सी" के स्थान पर मार्क "ए से बी" को दुरस्त किया जाता है। नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में पूर्व घोषित रास्ता मार्क ए से बी को पूर्ववत् रखते हुए, रास्ता मार्क ए से सी को हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **09.04.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner